संख्या-।232/चौवालिस-।/9।-5।/80

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/
नोयडा/बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

विषय :-सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण।

दिनांक : लखनऊ ।6 अगस्त, ।99।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-।

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में निगम/उपक्रम में कार्यरत लोक सेवकों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने से सम्बन्धित मामलों में पार्श्वांकित शासनादेश निर्गत किये गये हैं, सतर्कता जांच में भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ने हेतु ट्रैप की व्यवस्था भी प्रसंगति की गई है जो कि सतर्कता अधिष्ठान, सी0आई0डी0 तथा स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है। ट्रैप में गिरफ्तार लोक सेवक के विरुद्ध अन्य कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ निलम्बन की भी कार्यवाही की जाती है। ट्रैप से सम्बन्धित जांच कार्यवाहियों में वर्षों की अवधि का लगना असन्तोषजनक है। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी यह मामले वर्षों तक चलते रहते हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को वर्षों तक निलम्बित रहना पड़ता है जिसे जनहित या प्रशासन के हित में औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ऐसी दीर्घ सूत्री प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अन्ततः दोषी व्यक्ति को बहुत देर में दण्ड मिलता है तथा अन्ततः निर्दोष पाये जाने वाले कर्मचारी के मनोबल पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, उन्हें घोर आर्थिक तथा मानसिक कष्ट का भी सामना करना पड़ता है।

।-सं0-।585/44-।/87-5।/80, दिनांक 27-8-87
2-सं0-745/44-।/88-5।/80, दिनांक 5-4-88
3-सं0-742/44-।/90-5।/80, दिनांक 5-6-90

2- अतः सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, ।956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, ।860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के सम्बन्धित आर्टिकिल तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों पर नियत्रंण अधिनियम, ।975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4। सन् ।975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्न निदेश देते हैं :-

(।) जिन मामलों में ट्रैप के तत्काल बाद अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन किया जाता है और ट्रैप की तिथि से 6 महीने के अन्दर चार्जशीट न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन कायम रखने के औचित्य के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी निगम के मुख्य कार्यकारी एवं शासन के विभागीय सचिव द्वारा प्रत्येक मामले का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाय तथा निर्णय लिया जाये। यदि सेवा में बहाली का औचित्य न पाया जाये, जैसे कि यदि चार्जशीट के न्यायालय में प्रस्तुतीकरण में देरी, जांच कार्यवाही में स्वयं कर्मचारी

द्वारा किये जाने वाले विलम्ब के कारण हो, तो कारण देते हुए यह समिति सुस्पष्ट निर्णय ऐसी समीक्षा के बाद ले। प्रत्येक 6 माह की समाप्ति पर ऐसे मामलों का पुनरीक्षण अवश्य ही किया जाना चाहिए।

(2) ट्रैप के अतिरिक्त अन्य निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण भी प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई में किया जाय।

(अ) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं उनके निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण न्याय सचिव, विभागीय सचिव तथा निगम के मुख्य कार्यकारी की समिति द्वारा किया जाय। इस समिति की बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय सचिव के परामर्श पर आयोजित करेंगे।

(ब) अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी, श्री राज्यपाल नहीं हैं, निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

(क) निलम्बन के ऐसे मामले जो निगम के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से किये जाते हैं, उनका छमाही पुनरीक्षण निदेशक मण्डल द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा वे शासन के संबंधित सचिव को पुनरीक्षण के परिणाम से अवगत करायेंगे।

(ख) निलम्बन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी निगम के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक हैं, उनका पुनरीक्षण कराने का दायित्व नियुक्ति प्राधिकारी पर होगा और वह छमाही पुनरीक्षण के परिणाम से विभागीय सचिव को अवगत करायेंगे।

(ग) निलम्बन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक के अधीनस्थ कोई अधिकारी है उनसे सम्बन्धित समस्त मामलों में प्रबन्ध निदेशक अथवा नियुक्ति प्राधिकारी पुनरीक्षण की कार्यवाही करेंगे तथा पुनरीक्षण के छमाही परिणाम से अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक को अवगत करायेंगे।

3- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा निगम की सेवानियमावली में इनका समावेश भी कराने का कष्ट करें।

4- इस पत्र की प्राप्ति भी कृपया स्वीकार करें।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या-।232(।)/चौवालिस-।/9।, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(।) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(4) सतर्कता अनुभाग-।, 2, 3 व 4

(5) निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
विशेष सचिव।